राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 81/2017

1. चावली देवी पत्नी स्व. औंकार जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. रघुवीर पुत्र स्व. औंकार जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. रामस्वरूप पुत्र स्व. औंकार जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. शीशराम पुत्र स्व. औंकार जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. सावित्री पुत्र स्व. औंकार जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. संतोष पुत्री स्व. औंकार जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. हजारीलाल पुत्र प्रभाता जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. लीलाराम पुत्र प्रभाता जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. रोहताश पुत्र प्रभाता जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. संतोष देवी पत्नी रामजीलाल जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. महेश पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. राकेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. अनिता पुत्री रामजीलाल पत्नी महेन्द्र जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. हरनाथ पुत्र गंगूराम जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. भोभाराम पुत्र गंगूराम जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

10. मामचन्द पुत्र गंगूराम जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
11. लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. धीरमल जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
12. हरविन्द्र पुत्र धीरमल जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. ललित पुत्र धीरमल जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
14. प्रभाती पत्नी स्व. बनवारी जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
15. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. बनवारी जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
16. रामवतार पुत्र स्व. बनवारी जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
17. राजेन्द्र पुत्र स्व. बनवारी जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
18. महावीर पुत्र स्व. बनवारी जाति अहीर निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
19. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
20. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 जरिये शाखा प्रबंधक।
21. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 जरिये शाखा प्रबंधक।
22. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

<u>दावा– खाता विभाजन</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: निर्णय :– **दिनांक 06–10–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03–06–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम बहलवान नगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि नया खाता संख्या 140 के हाल खसरा नंबर 54, [illegible] 57, 58, 145, 699/141 कुल किता 7 कुल रकबा 7.59 है. में वादीगण का 1/2 [illegible] तथा नया खाता संख्या 142 के हाल खसरा नंबर 144 रकबा 0.64 है. में वादीगण का हिस्सा 0.32 है. का अलग खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/3142 दिनांक 01.08.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01–08–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01–08–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–12'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01–08–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–12'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01–08–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–12'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01–08–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–12'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:53 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

चावली देवी आदि

ब–ना–म

हजारीलाल आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **81 / 2017**

निर्णय दिनांक :– **06–10–2022**

वादीगण की ओर से **श्री हवासिंह बबेरवाल एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **06–10–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01–08–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–12" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01–08–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–12" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **06–10–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:53 IST
Reason: SelfAttested